भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2196

(जिसका उत्तर सोमवार, 09 दिसंबर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

सीडीएमएस और डीएमएस परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति

2196. श्री गौरव गोगोई:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट-सिस्टम (डीएमएस) और दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) की वर्तमान स्थिति क्या है और इसमें क्या प्रमुख सफलताएं प्राप्त की गई हैं तथा इसके पूरा होने की समय-सीमा क्या है;
(ख) इन प्रणालियों के संदर्भ में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;
(ग) क्या सरकार ने संबंधित उद्योग हितधारकों जैसे नियामकों, निवेशकों और जनता के साथ कोई परामर्श किया है और सीडीएमएस और डीएमएस पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ड.) क्या सरकार की योजना नियामकों निवेशकों और जनता सहित विभिन्न हितधारकों के लिए सीडीएमएस और डीएमएस द्वारा सृजित डेटा और अंतर्दृष्टि तक सुगमतापूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम) को 2015-16 में एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक पहुंच के लिए साझा करने योग्य जानकारी का प्रसार करना, नियामक निकायों को विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी साझा करना और कारपोरेट डाटा खनन के लिए मंत्रालय की आंतरिक क्षमताओं को बढ़ाना था। कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पास दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली नामक कोई योजना नहीं है।

(ख): डाटा को अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए मजबूत सुरक्षोपाय किए गए हैं, जिसमें मजबूत एन्क्रिप्शन, सख्त पहुंच नियंत्रण, व्यापक लॉगिंग और नियमित सुरक्षा ऑडिट आदि शामिल हैं।

(ग), (घ) और (ङ): सांख्यिकीय और आर्थिक विश्लेषण और शेयरधारिता, महत्वपूर्ण लाभार्थियों, संबंधित पक्षों, लेखापरीक्षा निष्कर्ष, समेकित वित्त आदि जैसे विभिन्न पहलुओं में अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने में सक्षम संरचित कारपोरेट डाटा के प्रावधान के लिए नियामक विभागों और प्रवर्तन एजेंसियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ नियमित रूप से परामर्श किया जाता है। डाटा पोर्टल, एपीआई और डैशबोर्ड के माध्यम से डेटा एक्सेस प्रदान किया गया है और हितधारकों ने इसकी उपयोगिता को स्वीकार किया है। डाटा का प्रचार-प्रसार एपीआई के माध्यम से ओपन गवर्नमेंट डाटा (ओजीडी) प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी किया जाता है जिसमें कारपोरेट रजिस्ट्री विवरण उपलब्ध कराया जाता है।

*****